



प्रस्तावना

- 1 विकासकर्ता केवल एकी रूप से विकास कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है निम्नानुसार एवं शिथिल रूप से करणग हो सकेगा।
- 2 उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि विकास स्वामित्व विधिवत अर्पित की गयी है उस पर विकासकर्ता एक एक कोट विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि इस भूमि का स्वामित्व शिथिल रूप से प्राप्त न कर ले।
- 3 उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि विकास, विकास भूमि व शिथिल भूमि का विभिन्न लीज शीट निर्धारित होने पर कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त भूमि पर विकासकर्ता विकास कार्य कर सकेगा।
- 4 विकासकर्ता एवं अधिकृत के साथ निर्धारित अनुबंध के अनुसार स्वयं पर विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।
- 5 विभिन्न वास्तुशिल्प सुविधाओं का-सुविधा, स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज एवं इलेक्ट्रिक लाइन स्टेशन आदि हों।
- 6 न-स्वामित्व के सम्बन्ध में उपरोक्त होने वाले किसी भी विवाद की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। अधिकृत द्वारा किये जाने वाले निर्माण नहीं होगा।
- 7 उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अधिकृत से पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- 8 स्वयं पर स्वामित्व शिथिली का विवरण कर्ता हूए एक पृष्ठ पर दर्ज कराना होगा।
- 9 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 10 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर रोड स्केपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 11 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 12 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 13 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 14 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 15 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 16 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 17 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 18 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 19 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 20 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 21 विकास मानचित्र के अनुसार स्वयं पर नए वाटर हाबीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यदि विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि का स्वामित्व शिथिल रूप से प्राप्त न कर ले तो विकासकर्ता को विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।




LANDUSE DISTRIBUTION AS PER LAYOUT PLAN						
S.No.	DESCRIPTION	PERMISSIBLE %	AREA IN SQM.	AREA IN ACRES	AREA IN HACTARE	% Achieved
1	RESIDENTIAL PLOTTED		910942.56	225.10	91.09	
	RESIDENTIAL GROUP HOUSING		88710.40	21.92	8.87	
	RESIDENTIAL EWS & LIG		62274.78	15.39	6.23	
	<b>SUB TOTAL</b>	(33% - 38%)	<b>1061927.74</b>	<b>262.41</b>	<b>106.19</b>	<b>38.00%</b>
2	COMMERCIAL	(10% Max.)	253229.16	62.57	25.32	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>253229.16</b>	<b>62.57</b>	<b>25.32</b>	<b>9.06%</b>
3	INDUSTRIAL	(6% Min.)	167922.16	41.49	16.79	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>167922.16</b>	<b>41.49</b>	<b>16.79</b>	<b>6.01%</b>
4	PUBLIC - SEMI PUBLIC	(8% - 10%)	224436.68	55.46	22.44	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>224436.68</b>	<b>55.46</b>	<b>22.44</b>	<b>8.03%</b>
5	RECREATIONAL	(3% - 5%)	84213.21	20.81	8.42	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>84213.21</b>	<b>20.81</b>	<b>8.42</b>	<b>3.01%</b>
6	GREEN	(15% - 18%)	419564.32	103.68	41.96	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>419564.32</b>	<b>103.68</b>	<b>41.96</b>	<b>15.01%</b>
7	ROAD	(18% - 20%)	58313.29	14.41	58.33	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>58313.29</b>	<b>14.41</b>	<b>58.33</b>	<b>20.87%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2794606.55</b>	<b>690.56</b>	<b>100.0%</b>	

**LEGEND**

- RESIDENTIAL PLOTTED
- GROUP HOUSING
- E.W.S./LIG
- COMMERCIAL
- PUBLIC/SEMI PUBLIC /FACILITY
- GREEN
- RECREATIONAL
- INDUSTRIAL

NOTE :- It is important to mention here that the layout of the project also includes land comprised of ponds etc. as per the revenue records. As per the GO No. 744/1-2016-20(5)/2016 dated 03.06.2016 issued by Government of Uttar Pradesh there is a provision of exchange for such land. Developer hereby undertake not to sell, allot or create any third party interest on the plots envisaged on such lands unless until the title is validly transferred in favor of the Company by way of exchange.



# PROPOSED REVISED LAYOUT PLAN OF DPR - OMAXE HI-TECH CITY AT LUCKNOW

**CLIENT:-**  
M/s OMAXE GARV BUILDTECH Pvt.Ltd.  
LSC-10, KALKAJI , NEW DELHI-110019.



**CONSULTANTS:-**  
OMAXE LTD.  
LSC-12, KALKAJI, NEW DELHI-110019


**OWNER'S SIGN**

**ARCHITECT'S SIGN**  
AR JAI SINGH VERMA  
CA/2010/50948

**SCALE:-**  
1:4000

**SHEET NO.**  
OMX/HI-TECH-MR1



 **PHASE - 1A BOUNDARY**  
**BOUNDARY AREA - 9122.18 SQ.MT.**

**POCKET-1A**